

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या-223/2011/जयपुर

राजस्थान सरकार जरिये उप-पंजीयक आमेर, जिला जयपुर

...प्रार्थी

बनाम

1. श्री माली राम छीपा पुत्र छोटी लाल छीपा, निवासी- गांव जयरामपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. मदनलाल मीना पुत्र भैरू लाल मीना निवासी चाकसू, तहसील चाकसू जिला जयपुर। (फौत) जिनके वारीसान 2/1 से 2/3 हैं -

2/1 बदाम देवी पत्नी श्री मदन लाल मीणा

2/2 राजेश पुत्र श्री मदन लाल मीणा

2/3 हेमलता पुत्री श्री मदनलाल मीणा

...अप्रार्थीगण

एकलपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जमील जई

उप-राजकीय अभिभाषक

श्री वी.के.गर्ग

अनुपस्थित

...प्रार्थी की ओर से

...अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से

...अप्रार्थीगण संख्या 2/1 से 2/3

निर्णय दिनांक : 12.05.2017

निर्णय

1. यह निगरानी राजस्थान सरकार जरिये उप-पंजीयक चतुर्थ, जयपुर द्वारा विद्वान कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर वृत द्वितीय (जिसे आगे 'कलक्टर मुद्रांक' कहा गया है) के आदेश दिनांक 22.03.2010 प्रकरण संख्या 214/10 के विरुद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे 'मुद्रांक अधिनियम' कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने उप-पंजीयक आमेर, जयपुर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को खारिज किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी सं. 1 श्री मालीराम छीपा ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र दिनांक 04.03.10 प्रस्तुत कर इकरारनामा दिनांक 28.08.1983 को पूर्ण मुद्रांकित करने हेतु निवेदन किया। इकरारनामा दिनांक 28.08.1983 द्वारा श्री मदनलाल मीणा पुत्र श्री भैरूलाल मीणा निवासी ग्राम चाकसू, तहसील चाकसू जिला जयपुर हाल निवासी जयरामपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर ने आवासीय भूखण्ड वाके ग्राम जयरामपुरा तहसील आमेर क्षेत्रफल 150 वर्गगज का राशि रु. 3,000/- के बदले विक्रय इकरार अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किया था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निगरानीधीन निर्णय दिनांक 18.03.2010 द्वारा प्रश्नगत दस्तावेज की

2^m/

लगातार.....2

निष्पादन दिनांक 28.08.1983 डी.एल.सी. दरे प्रभावी नहीं होने के कारण विक्रय इकरारनामा में वर्णित प्रतिफल राशि 3,000/- रु. को ही प्रश्नगत विक्रय इकरारनामा की मालियत निर्धारित करते हुए तत्समय प्रभावी मुद्रांक कर की दर के अनुसार 200/-रु मुद्रांक कर व शास्ति रु. 803/- में पूर्व में जमा मुद्रांक कर 3/- रु. का समायोजन कर कुल 1,000/-रु वसूल किये जाने के आदेश दिये तथा राशि जमा होने पर दस्तावेज पूर्ण मुद्रांकित किया गया जिसके विरुद्ध राज्य पक्ष की ओर से इस आधार पर निगरानी प्रस्तुत की गई है कि दस्तावेज का मूल्यांकन निष्पादन तिथि 28.08.1983 के स्थान पर दस्तावेज को पूर्ण मुद्रांकित करने हेतु प्रस्तुत करने की तिथि 04.03.10 को प्रचलित बाजार दर से करना चाहिए।

3. निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज की जाकर रिकार्ड व अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की आरे से उनके विद्वान अभिभाषक उपस्थित आये। अप्रार्थीगण सं. 2/1 से 2/3 अनुपस्थित रहे।

4. प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई।

5. राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि विचाराधीन प्रकरण में दस्तावेज दिनांक 28.08.1983 को निष्पादित किया है जिसे पूर्ण मुद्रांकित करने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 04.03.2010 को प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने विक्रयाधीन सम्पत्ति के मूल्य का निर्धारण 28.08.1983 को आधार मानकर किया है जबकि मूल्यांकन दस्तावेज को पूर्ण मुद्रांक करवाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 04.03.2010 को आधार मानकर किया जाना चाहिए था। इन्होंने अपने समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा राज्य सरकार व अन्य बनाम मैसर्स खण्डाका जैन ज्वैलर्स में पारित निर्णय (2007) 19 टैक्स अपडेट 355 एवं हरियाणा राज्य व अन्य बनाम मनोज कुमार 2010(2) RRT 731 न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

6. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 की ओर से लिखित प्रारम्भिक आपत्तिया प्रस्तुत की गई तथा कथन किया कि उपरोक्त उनवानी रिविजन असाधारण देरी से प्रस्तुत की गई जो मियाद बाहर है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें सद्भाविक एवं युक्तियुक्त तथ्यों का अभाव है और सर्वथा गलत तथ्यों के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके आधार पर रिविजन प्रस्तुतिकरण में हुआ विलम्ब माफ नहीं किया जा सकता। विधि अनुसार विलम्ब के प्रत्येक दिवस के बारे में युक्तियुक्त, सद्भाविक कारण एवं स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिये था परन्तु प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र में रिविजन कितने दिवस विलम्ब से प्रस्तुत की गई है और प्रत्येक विलम्ब दिवस के संबंध में कोई युक्तियुक्त कारण एवं स्पष्टीकरण नहीं दिया है। ऐसी स्थिति में रिविजन को मियाद में शुमार किये जाने की कोई विधिक एवं न्यायिक मंशा नहीं है इसलिये रिविजन मियाद

2^म

लगातार.....3

बाहर होने की वजह से खारिज किये जाने योग्य है। उपपंजीयक, आमेर को विधि मंत्रालय राजस्थान सरकार द्वारा उक्त रिविजन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी (ओ.आई.सी.) नियुक्त नहीं किया गया है क्योंकि इस संबंध में रिविजन में तथ्यों का अभाव है। ऐसी स्थिति में उपपंजीयक, आमेर को उक्त रिविजन प्रस्तुत करने का कोई अधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। रिविजन बोर्ड बाई लॉ होने के आधार पर खारिज किये जाने योग्य है। दस्तावेज पर स्टाम्प शुल्क दस्तावेज की निष्पादन दिनांक को प्रभावी दर से प्रभारित किये जाने का विधिक प्रावधान विधि में स्थापित है। पूर्व प्रचलित स्टाम्प नियमावली के नियम 66-सी में स्थापित विधि अनुसार कलक्टर मुद्रांक के समक्ष अपंजीकृत इकरार नामा प्रस्तुत किये जाने पर इसकी निष्पादन दिनांक को प्रभावी दर से स्टाम्प शुल्क वसूल करते आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपना कर उक्त रिविजन प्रस्तुत की गई है जबकि प्रार्थी-रिविजनकर्ता को ऐसा करने के लिए विधि, कानून एवं न्याय कोई इजाजत एवं छूट प्रदान नहीं करता है। इस आधार पर भी रिविजन खारिज किये जाने योग्य है। वर्तमान प्रभावी स्टाम्प दर तथा मौका निरीक्षणों पूर्व दिनांकों को निष्पादित इकरारनामों के संबंध में कोई औचित्य नहीं है और वर्तमान में मौका निरीक्षण कर क्रेता द्वारा विकसित की गई सम्पत्ति पर स्टाम्प शुल्क अधिरोपित करना अप्रासांगिक व अवैधानिक है। इस आधार पर निगरानी अधीन आदेश पूर्णतया वैध एवं न्यायसंगत है जिसको प्रार्थी ने सर्वथा गलत तथ्यों के आधार पर चुनौती दी है। इस आधार पर भी रिविजन खारिज किये जाने योग्य है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.03.2010 की पालना में निर्धारित स्टाम्प शुल्क अप्रार्थी ने रसीद नम्बर 2010397005498 दिनांक 19.03.2010 को कार्यालय उपपंजीयक, जयपुर पंचम के यहां जमा करवा दिया था जिस पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने प्रमाण पत्र क्रमांक 6963 दिनांक 23.03.2010 जारी करके इकरारनामा को पूर्ण मुद्रांकित कर दिया था जो पूर्णतया वैध एवं विधिसम्मत है। प्रार्थी-रिविजनकर्ता ने सर्वथा गलत तथ्यों के आधार पर रिविजन प्रस्तुत की है जो खारिज किये जाने योग्य है।

7. हमने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार से है -

8. निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र सशपथ होने, प्रार्थना पत्र में अंकित कारण कि प्रशासनिक प्रक्रिया में समय लगा है संतोषजनक होने, निर्णय गुणावगुण के आधार पर श्रेयस्कर होने के दृष्टिगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निगरानी अन्दर मियाद मानी जाती है।

9. विचाराधीन प्रकरण में इकरारनामा दिनांक 28.08.1983 को निष्पादित किया गया है। यह इकरारनामा पंजीयन नहीं कराये जाने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 क्रेता ने इकरारनामों को पूर्ण मुद्रांकित करने हेतु एक प्रार्थना पत्र अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक)

जयपुर को दिनांक 04.03.2010 को प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निगरानीधीन निर्णय दिनांक 18.03.2010 द्वारा प्रश्नगत दस्तावेज की निष्पादन दिनांक 28.08.1983 डी.एल.सी. दरे प्रभावी नहीं होने के कारण विक्रय इकरारनामा में वर्णित प्रतिफल राशि 3,000/- रु. को ही प्रश्नगत विक्रय इकरारनामा की मालियत निर्धारित करते हुए तत्समय प्रभावी मुद्रांक कर की दर के अनुसार 200/-रु मुद्रांक कर व शास्ति रु. 803/- में पूर्व में जमा मुद्रांक कर 3/- रु. का समायोजन कर कुल 1,000/-रु वसूल किये जाने के आदेश दिये तथा राशि जमा होने पर दस्तावेज पूर्ण मुद्रांकित किया गया।

10. प्रार्थी (निगरानीकर्ता) राज्य पक्ष की ओर से प्रस्तुत निगरानी में मुख्य आधार कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की धारा 35, 36, एवं 45 पर ध्यान दिये बिना विक्रय पत्र निष्पादित दिनांक 28.08.1983 को आधार मानकर सम्पत्ति का मूल्यांकन किया है जबकि सम्पत्ति का मूल्यांकन विक्रय दस्तावेजत को मुद्रांकित करने हेतु प्रस्तुत दिनांक 04.03.2010 को आधार मानकर, सम्पत्ति का मूल्यांकन करते हुए मुद्रांक कर वसूल किये जाने के आदेश दिये जाने चाहिये थे।

11. इस विचाराधीन प्रकरण में मुख्य विवाद यह है कि सम्पत्ति का मूल्यांकन विक्रय पत्र निष्पादित किये जाने की तिथि को आधार मानकर किया जाना चाहिए या विक्रय पत्र को पूर्ण मुद्रांकित करने हेतु कलक्टर (मुद्रांक) के समक्ष प्रस्तुत करने की तिथि को आधार मानकर सम्पत्ति का मूल्यांकन किया जाना चाहिये। प्रकरण में इकरारनामों को राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 की धारा 36 के अन्तर्गत मुद्रांकित किया जाना माना जायेगा क्योंकि दस्तावेज को पूर्ण मुद्रांकित करने हेतु क्रेता स्वयं द्वारा प्रार्थना पत्र कलक्टर (मुद्रांक) को प्रस्तुत किया गया है। राज. मुद्रांक अधिनियम 1998 की धारा 36 निम्न प्रकार है :-

36 - Certificate by Collector

(1) When an instrument brought to the Collector under section 35 is, in his opinion, one of a description chargeable with duty, and

(a) the Collector determines that it is already fully stamped, or

(b) the duty determined by the Collector under section 35, or such a sum as, with the duty already paid in respect of the instrument, is equal to the duty so determined, has been paid, the Collector shall certify by endorsement on such instrument that the full duty (stating the amount) with which it is chargeable, has been paid.

(2) When such instrument is, in his opinion, not chargeable with duty, the Collector shall certify in the manner aforesaid that such instrument is not so chargeable.

(3) Any instrument upon which an endorsement has been made under this section, shall be deemed to be duly stamped or not chargeable with duty, as the case may be; and, if chargeable with duty, shall be receivable in evidence or otherwise, and may be acted upon and registered as if it had been originally duly stamped: Provided that nothing in this section shall authorize the Collector to endorse any instrument chargeable with a duty not exceeding ten paise or any bill of exchange or promissory note, when brought to him, after the drawing or execution thereof, on paper not duly stamped. Provided further that, :

२९/-

(a) any instrument executed or first executed in the State and brought to the Collector within one month of its execution or first execution, as the case may be; or

(b) any instrument executed or first executed out of State and brought to the Collector within three months after it has been first received in the State;

shall be chargeable with duty as applicable at the time of its execution and where any instrument is presented to the Collector after the period specified above, such instrument shall be chargeable with duty as applicable at the time of its presentation and calculated on the basis of market value, wherever applicable, prevalent on the date of its presentation before the Collector and he may certify accordingly.

उपरोक्त विधिक स्थिति से स्पष्ट है कि मुद्रांक कर की वसूली दस्तावेज को मुद्रांकित करने हेतु कलक्टर (मुद्रांक) के समक्ष प्रस्तुत करने की दिनांक को आधार मानकर सम्पत्ति का मूल्यांकन किया जाना चाहिये।

12. इस संबंध में विद्वान अभिभाषक निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा राज्य सरकार व अन्य बनाम मैसर्स खण्डाका जैन ज्वैलर्स में पारित निर्णय (2007) 19 टैक्स अपडेट 355 का अवलोकन करना समीचीन होगा। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टान्त में निम्न प्रकार मतप्रतिपादित किया है :-

"We are of the opinion that the view taken by the learned single Judge as well as by the Division Bench cannot be sustained and the same is set aside. The Collector shall determine what was the **valuation of the instrument on the basis of the market value of the property at the date when the document was tendered by the respondent for registration**, and the respondent shall pay the stamp duty charges and surcharges, if any, as assessed by the Collector as per the provisions of the Act."

उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त से इस धारणा की पुष्टि होती है कि दस्तावेज का मूल्यांकन दस्तावेज को पंजीयन हेतु प्रस्तुत करने की दिनांक को आधार मानकर किया जाना चाहिए।

इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हरियाणा राज्य व अन्य बनाम मनोजकुमार के न्यायिक दृष्टान्त 2010 (2) RRT 731 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि विक्रय दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किये जाने की दिनांक को प्रचलित डी. एल.सी. दर के अनुसार सम्पत्ति की मालियत निर्धारित की जाकर तदनुसार देय मुद्रांक/पंजीयन शुल्क वसूल किया जाकर ही दस्तावेज पंजीबद्ध किया जा सकता है।

उक्त न्यायिक दृष्टान्त का पैरा संख्या 39 एवं 42 का उद्धरण प्रस्तुत करना समीचीन होगा।

२५/

"39. It is not disputed that the commercial plot of 788 sq. yards located at Delhi-Mathura Mewla Maharajpur, Faridabad was valued by the Circle rate at Rs. 4,200/- per sq. yard fixed by the Collector of Faridabad meaning thereby that after the notification, no sale deed can be registered for an amount lesser than Rs. 4200/- per sq. yard. It may be pertinent to mention that, in order to ensure that there is no evasion of stamp duty, circle rates are fixed from time to time and the notification is issued to that effect. The issuance of said notification has become imperative to arrest the tendency of evading the payment of actual stamp duty. It is a matter of common knowledge that usually the circle rate or the Collector rate is lower than the prevalent actual market rate but **to ensure registration of sale deeds at least at the circle rates or the Collector rates such notifications are issued from time to time by the appellants.**

"42. In the facts and circumstances of the case, the impugned judgment of the High Court cannot be sustained and is accordingly set aside and the order passed by the District Collector, Faridabad which was upheld by the Commissioner, Gurgaon is restored. The respondent is directed to pay the balance stamp duty within four weeks from the date of this judgement, otherwise the appellants would be at liberty to take appropriate steps in accordance with law."

13. उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानी स्वीकार योग्य है तथा प्रकरण अतिरिक्त कलक्टर(मुद्रांक) जयपुर को दस्तावेज को मुद्रांकित करने हेतु प्रस्तुत करने की दिनांक 04.03.2010 को प्रचलित DLC एवं इन्डेक्स को आधार मानकर मूल्यांकन कर मुद्रांक कर वसूली हेतु निर्देश दिया जाना उचित है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर, अधीनस्थ न्यायालय का विचाराधीन निर्णय दिनांक 18.03.2010 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिए जाते हैं कि उभयपक्ष को सुनकर विचाराधीन प्रकरण में दस्तावेज को मुद्रांकित करने हेतु प्रस्तुत करने की दिनांक 04.03.2010 को आधार मानकर सम्पत्ति का मूल्यांकन कर, मुद्रांक कर निर्धारण एवं वसूली हेतु तदनुसार अग्रिम कार्यवाही की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। निर्णय की प्रमाणित प्रति समस्त पक्षकारान को दी जावे। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 19.06.2017 को पेश हो। अप्रार्थीगण संख्या 2/1 ता 2/3 को नियमानुसार नोटिस जारी कर तलब किया जाकर उन्हें भी सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर, फौसला शुमार हो।

(नथू राम)
सदस्य